




श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते



प्रधान मंत्री
आवास योजना
Pradhan Mantri Awas Yojana



श्री हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

नई एवं उभरती तकनीक से

लाईट हाउस प्रोजेक्ट, राँची

मात्र **₹ 6.79 लाख** में अपना घर

आवासीय परियोजना की विशेषताएँ

- | लगभग 315 वर्गफीट का घर
- | बिजली, पानी, आधारभूत संरचना की सम्पूर्ण व्यवस्था
- | बैंको से आसान किस्तों में लोन
- | सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था
- | 2 पहिया, 4 पहिया पार्किंग की व्यवस्था
- | हाई स्पीड लिफ्ट्स

पात्रता

- | वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पूर्व से नगर निगम क्षेत्र में निवास करते हैं।
- | परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख ₹ हो।
- | आवेदक या उसके परिवार के नाम से भारत में कहीं पक्का मकान न हो।
- | योजना अंतर्गत लाभुक परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।

फ्लैट की प्रमुख विशेषताएँ

- विट्रीफाइड टाइल्स युक्त फ़र्श
- डिस्टेंपर युक्त रंगरोगन
- स्टेनलेस स्टील सिंक
- LED बल्ब का प्रावधान
- दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस
- कमरों में पंखे का प्रावधान
- उच्च गुणवत्ता सेनेटरी फिटिंग
- UPVC खिड़कियां मछरदानी सहित
- रसोई में प्लेटफॉर्म के नीचे कैबिनेट
- अग्निशमन की व्यवस्था
- बेडरूम में अलमारी



हमारा सपना...

हर शहरी गरीब का हो घर अपना



परियोजना विवरण

क्र० सं०	ब्यौरा	विवरण
1	परियोजना स्थल	आनि, पंचमुखी मंदिर के नजदीक, सेक्टर-01 मार्केट, धुर्वा, रांची
2	कुल आवास	1008
3	प्रति फ्लैट की लागत	रु 13.29 लाख
4	प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान	रु 5.5 लाख
5	प्रति फ्लैट राज्य सरकार का अंशदान	रु 1 लाख
6	प्रति फ्लैट लाभुक का अंशदान	रु 6.79 लाख
7	प्रति फ्लैट कारपेट एरिया	315 वर्ग फीट
8	भवन का निर्माण	नई एवं उभरती तकनीक '3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट' से लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण
9	प्रति फ्लैट का आंतरिक विवरण	1 लिविंग रूम, 1 बेडरूम, 1 रसोई घर, 1 शौचालय, 1 बाथरूम एवं 1 बालकनी

आवेदन पत्र के साथ जमा करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

आवेदन हेतु निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य होंगे-

- लाभार्थी का पहचान पत्र एवं संयुक्त धारक का पहचान पत्र (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो (3 प्रति)
- लाभार्थी का बैंक अकाउंट संख्या एवं पासबुक (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभुक सहमति पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति); (Consent Form)
- स्व घोषणा पत्र (स्व हस्ताक्षरित मूल प्रति)
- आधार कार्ड (स्व सत्यापित छायाप्रति)
- लाभार्थी का चालू मोबाइल नं० (आवास आवंटित होने तक सुगम संपर्क हेतु)

नोट: पहचान पत्र में ये दस्तावेज मान्य होंगे:-

पासपोर्ट/पैन कार्ड /मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड/ राजस्व अधिकार प्रमाण पत्र/
बैंक पासबुक/ बी.पी.एल कार्ड)



आवेदन कैसे करें?

- लाभार्थी नगर निगम से आवेदन फॉर्म, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र प्राप्त कर उसे भरकर नगर निगम कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- लाभार्थी फॉर्म जमा करने के उपरांत प्राप्ति रसीद के तौर पर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

लाईट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए
टॉल फ्री नं०: **1800-120-2929** पर संपर्क कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए राँची नगर निगम से संपर्क करें

नगरीय प्रशासन निदेशालय,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार
Follow us on:     @JharkhandDMA
Website : dmajharkhand.in